न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 01/2017

1. श्रीमती श्रीमती अलोली पत्नि स्व0 श्री मेघाराम जाति जाट निवासी नाड तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राज.)

..अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री पेमाराम पुत्र मगनाराम
2. श्री हीरालाल पुत्र मगनारा (फोत जरिये वारिसान)
   1. श्रीमती गंगा देवी पत्नि स्व0 श्री हीरालाल
   2. माया पुत्री स्व0 श्री हीरालाल
   3. पिन्नू पुत्री स्व0 श्री हीरालाल
   4. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री हीरालाल
3. श्री सुखदेव पुत्र मगनाराम
   समस्त जाति जाट निवासी नाड तहसील पीसागंन जिला अजमेर
4. श्रीमती ऐंजन पुत्र मगनारा पत्नि सुखराम जाति जाट निवासी ग्राम नाड हाल निवासी कालेसरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर
5. सरपंच ग्राम पंचायत भटसूरी तहसील पीसागंन जिला अजमेर
6. हल्का पटवारी महोदय नाड पटवार हल्का भटसूरी तहसील पीसागंन जिला अजमेर

...रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व सरपंच महोदय ग्राम पंचायत भटसूरी पंचायत समिति पीसागंन के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 759 दिनांक 23.11.2016 को पारित किया गया।

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा – अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीवराज शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1से 2/4
एकपक्षिय कार्यवाही – रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 3, 4, 5, 6

–: निर्णय :– दिनांक 03.11.2020

संक्षिप्त में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 759 दिनांक 23.11.2016 जो ग्राम पंचायत भटसूरी का प्रत्यर्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी संख्या वर्किंग खसरा सख्या 672, 673 के वर्तमान खसरा सख्या 623/1228, 625, 625/1217, 625/1227, 626 कुल किता 5 कुल रकबा 1.96 है0 ग्राम नाड पटवार हल्का भटसूरी की आराजी जीवण वल्द उंकार जाति जाट , निवासी ग्राम कालेसरा की स्वअर्जित खातेदारी काश्तकारी की है। जीवण वल्द उंकार के द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलांट की सेवा भाव से खुश होकर रूबरू गवाहन के समक्ष अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 22.02.1990 को वसीयत निष्पादित की गयी जो खातेदार जीवण पुत्र उंकार का स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त आराजी की वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट ही आराजी काश्त करता आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:06:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

Web Copy - Not Official

जीवण के स्वर्गवास के पश्चात वसीयत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार महोदया द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2016 को दर्ज कर वसीयत में निहित गवाह एवं अन्य हित निहित पक्षकारान का तलब हिया जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा वास्ते प्रार्थना पत्र विरासती नामान्तरकरण तस्दीक करने बाबत प्रस्तुत किया जाने का निवेदन किया तथा दिनांक 21.09.2016 को आपत्ति प्रस्तुत कर प्रकरण को निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया तत्पश्चात तहसीलदार महोदय पीसागंन ने प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा निर्णय दिनांक 21.09.2016 को प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमा दिया गया जिससे अपीलाण्ट ने न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के समक्ष अपील एल.आर. एक्ट संख्या 90/2016 पेश कर दिया गया जो कि आज दिनांक तक विचाराधीन है जिसके बावजूद गैरकानूनी रूप से सरपंच ग्राम पंचायत भटसूरी के द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए विद्वान सरपंच महोदय ग्राम पंचायत भूटसूरी तहसील पीसागंन ने नामान्तकरण संख्या 759 दिनांक 23.11.2016 को नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जो कि निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेण्टस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेण्टस संख्या संख्या 1, 3, 4, 5, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी । रेस्पोडेण्टस सख्या 2/1 से 2/4 ने जरिये अभिभाषक जवाब एंव लिखित बहस पेश की । अपील के प्रत्युत्तर में रेस्पोडेण्टस संख्या 2/1 से 2/4 के अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क किया कि रेस्पोडेण्ट मृतक जीवण के विधिक वारीसान है तथा नियमानुसार विरासती नामान्तरण खुला है अपीलाण्ट का मृतक से कोई रिश्ता नहीं है अतः अपील खारिज की जाये ।

मैने उभयपक्ष बहस सुनी । पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया तो इस निष्कर्ष पर पहुचा कि मृतक जीवण के दो तो मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली में लगे है साथ ही वल्दियत भी स्पष्ट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि यह रही कि प्रकरण में माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में अपील मे विचाराधीन रहते हुए ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया अतः चुंकि प्रकरण में अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में अपील संख्या 90/2016 वर्तमान में विचाराधीन है अतः नामान्तकरण संख्या 759 दिनांक 23.11.2016 निरस्त किया जाकर तहसीलदार पीसागंन को निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में अपील संख्या 90/2016 में निर्णय होने के पश्चात ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है नामान्तकरण संख्या 759 दिनांक 23.11.2016 ग्राम पंचायत भटसूरी निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:06:25 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)